

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-97/07

दायर दिनांक:- 03.07.07

जीसीएमएस नं. 2007/00097

उनवान

फूलसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी सोमला रात्रा तहसील हिण्डौन
सिटी हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

वादी

बनाम

टीकम पुत्र गेंदा जाति जाटव निवासी सोमलारात्रा तहसील हिण्डौन हाल
तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-20

दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 03.07.2007 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं एवं वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 97/07 फूलसिंह बनाम टीकमसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन